

प्रेषक,

एस0 पी0 सिंह,
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 25 मार्च, 2020

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में राजकीय मेडिकल कालेजों में स्थापित चिकित्सकीय उपकरणों के अनुरक्षण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/137/790, दिनांक 06-02-2020, पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/916, दिनांक 28-02-2020, पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/129/938, दिनांक 02-03-2020, पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/128/937, दिनांक 02-03-2020, पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/127/842, दिनांक 13-02-2020, पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/127/843, दिनांक 13-02-2020, पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/129/841, दिनांक 13-02-2020, पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/128/738, दिनांक 24-01-2020, पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/164/684, दिनांक 14-01-2020, पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/2019/678, दिनांक 10-01-2020, पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/2019/651, दिनांक 30-12-2019, पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/2019/668, दिनांक 08-01-2020, पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/137/790, दिनांक 06-02-2020, तथा पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/138/936, दिनांक 02-03-2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेजों में स्थापित उपकरणों के अनुरक्षण हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेजों हेतु "अनुरक्षण" मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 16,48,99,000.00 के सापेक्ष धनराशि रू0 11,59,76,335.57 (रू0 ग्यारह करोड़ उनसठ लाख छिहत्तर हजार तीन सौ पैंतीस एवं सत्तावन पैसे मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित विवरणानुसार राज्यपाल महोदय सहर्षु प्रदान करते हैं-

क्र0	मेडिकल कालेज का नाम	उपकरण का नाम	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	मेडिकल कालेज, प्रयागराज	सम्बद्ध चिकित्सालयों में स्थापित उपकरणों को क्रियाशील रखने हेतु उपकरणों की मरम्मत एवं सी0एम0सी0	1,10,01,898.00
2	मेडिकल कालेज, आगरा	उपकरणों की मरम्मत/एसेसरीज/कन्ज्यूमेबिल्स पार्ट एवं ए0एम0सी0/सी0एम0सी0	1,18,18,818.00
3	मेडिकल कालेज, झाँसी	विभिन्न विभागों में स्थापित उपकरणों को क्रियाशील रखने हेतु उपकरणों की मरम्मत, ए0एम0सी0 एवं सी0एम0सी0	52,68,098.00
4	मेडिकल कालेज, मेरठ	बाल रोग विभाग में बन्द पड़े वेन्टीलेटर्स की मरम्मत एवं आवश्यक कन्ज्यूमेबिल आइटम्स के क्रय हेतु	10,74,232.00
5	मेडिकल कालेज, कन्नौज	मेडिकल कालेज एवं सम्बद्ध चिकित्सालय में स्थापित उपकरणों को मरम्मत, ए0एम0सी0 एवं सी0एम0सी0	1,71,75,468.00
6	मेडिकल कालेज, प्रयागराज	बाल रोग विभाग में मेडिकल पाइप लाइन के अनुरक्षण हेतु	10,94,273.00
7.	मेडिकल कालेज, आजमगढ़	विभिन्न विभागों में स्थापित उपकरणों की मरम्मत एवं सी0एम0सी0	1,04,95,446.00
8.	मेडिकल कालेज, कानपुर	विभिन्न विभागों में स्थापित उपकरणों को क्रियाशील रखने हेतु उपकरणों की मरम्मत, ए0एम0सी0 एवं सी0एम0सी0, कन्ज्यूमेबिल्स	3,84,45,073.00
9.	मेडिकल कालेज, जालौन	विभिन्न विभागों में स्थापित उपकरणों की सी0एम0सी0	1,49,11,029.57

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

10.	मेडिकल कालेज, झाँसी	एनेस्थीसिया विभाग हेतु माड्युलर ओ0टी0 की सी0एम0सी0 हेतु योग-	46,92,000.00
			11,59,76,335.57

- 2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यों/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्हीं अन्य कार्यों/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
- 3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग सुसंगत वित्तीय नियमों, स्टोर परचेज रूल्स एवं समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा धनराशि के सद्व्यय हेतु संबंधित प्रधानाचार्य/निदेशक पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे।
- 4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से वास्तविक आवश्यकतानुसार तभी किया जायेगा, जबकि उपकरणों के क्रय की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण हो जाए तथा नियमानुसार औचारिकताएं पूर्ण कराकर कार्य कराया जाये। स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0 अथवा बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।
- 5- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-"2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-शिक्षा-0376-राजकीय मेडिकल कालेजों में चिकित्सीय सेवाओं का संचालन-29-अनुरक्षण" के नामे डाला जायेगा।
- 6- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च, 2019 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(एस0 पी0 सिंह)

अनु सचिव

संख्या:- 67/2020/667(1)/71-1-2020 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 2- वित्त नियंत्रक, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
- 3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, प्रयागराज, आगरा, झाँसी, मेरठ, कन्नौज, आजमगढ़, कानपुर तथा जालौन।
- 4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, प्रयागराज, आगरा, झाँसी, मेरठ, कन्नौज, आजमगढ़, कानपुर तथा जालौन।
- 5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रयागराज, आगरा, झाँसी, मेरठ, कन्नौज, आजमगढ़, कानपुर तथा जालौन।
- 6- नियोजन अनुभाग-4
- 7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
- 8- संबंधित समीक्षाधिकारी/गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एस0 पी0 सिंह)

अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।